शिकायतकर्ता श्री नाज़िम शेख उपस्थित हैं । उनसे पूछा गया कि शिकायत के संबंध में उन्हें क्या जानकारी चाहिये । उन्होंने जो आवेदन–पत्र लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसकी प्रति दे दें जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि उन्होंने क्या जानकारी लोक सूचना अधिकारी से चाही थी, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने आवेदन–पत्र की प्रति नहीं रखी है, इसलिए यह जानकारी आयोग को देने में वह समर्थ नहीं हैं । शिकायतकर्ता ने यह बताया कि इस प्रकरण में वह एक अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और इसके बाद में इससे संबधित उन्होंने दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है । बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने कलेक्टर के यहां अपील प्रस्तुत करने के साथ आयोग में अपील प्रस्तुत की है जिसको यह शिकायत के रूप में इस कार्यालय में पंजीकृत किया गया । इस प्रकरण में अपील के लिए न निर्धारित शुल्क ही दिया गया है और न ही कलेक्टर के यहां जो अपील प्रस्तुत की गई है, उसमें आदेश की प्रतीक्षा की गई है ।

2. वांछित जानकारी के अभाव में इस शिकायत पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है, अतः यह नस्ती की जाती है ।

3. यदि निर्धारित अवधि में कलेक्टर एवं अपील अधिकारी से निर्णय नहीं प्राप्त होता है तो शिकायतकर्ता आयोग में अपील कर सकते हैं ।

**(टी.एन.श्रीवास्तव)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**
**18.7.206**